न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/21 निर्णय दिनांकः—24-5-22
(जीसीएमएस संख्या 2021/9)

1. मुख्त्यार पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी ग्राम हंसेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 30—03—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 30—03—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 11 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 218/49 के किला नम्बर 2 ता 25 तादादी 24 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 238/58 के किला नम्बर 1, 7 ता 15 तादादी 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 34 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को बकाया राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा अपीलांट् के आवंटन को किश्तों के अभाव में खारिज करने के उपरान्त उपरोक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति देवेन्द्र कुमार पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी नोखा को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट् को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निरस्त करते हुए अपीलांट् को उसकी पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 के विरूद्ध अपील दिनांक 07—12—2020 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज करने के उपरान्त अपीलांट् को आवंटित भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—03—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील 07—12—2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर ग्रामीण एकीकृत योजना में चयनित के आधार पर आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को को चक 11

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 218/49 के किला नम्बर 2 ता 25 तादादी 24 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 238/58 के किला नम्बर 1, 7 ता 15 तादादी 10 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 34 बीघ भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई गई। इस संबंध में संबंधित पटवारी से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तत्कालीन पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के विरूद्व 9500/– रूपये किश्त पेटे बकाया है तथा बार–बार मौखिक तकादा करने व मांग पत्र देने के बावजूद भी बाकीदार राशि जमा नहीं करा रहा है।

(3) अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक अपीलांट को बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी करते हुए दिनांक 31–12–1999 तक बकाया राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अपीलांट् उक्त नोटिस की पालना में स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व ना ही वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। जिसके फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित रकबा आवंटन नियम 1975 के नियम 17 (8) के अनुसार किश्तों के अभाव में दिनांक 30–03–2000 को निरस्त कर दिया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया था। अपीलांट द्वारा उक्त नोटिस की अनुपालना में बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत ने अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलांट का आवंटन निरस्त किया गया व कालान्तर में उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति देवेन्द्र कुमार पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी नोखा को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 30–03–2000 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24/5/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर